न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण कमांक 46 /बी–121/2014–15

: आदेश ::

(आज दिनांक 29/06/2015 को पारित किया गया)

प्रकरण तहसीलदार जोबट का होकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट के माध्यम से प्राप्त हुआ प्रकरण का अवलोकन किया गया। पिड़ित वालसिंह पिता जामसिह जाति भीलाला निवासी ग्राम बडागुडा की पत्नि शंकरबाई पति वालसिंह पर दिनांक 13.06.2015 को अचानक आकाशीय बिजली गिरने से घटनास्थल पर ही शंकरबाई की मृत्यु हो गई है। मृतक के पति वालसिंह पिता जामसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम बडागुडा को 1,50,000/– (एक लाख पच्चास हजार रूपये) की आर्थिक सहायता की अनुशंसा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जोबट द्वारा की गई है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार जोबट के प्रतिवेदन से सहमत होकर प्रकरण में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 संशोधित ज्ञाप कमांक/एफ 6–4/2012/सात–3 भोपाल दिनांक 13 अप्रैल 2012 की कंडिका–10(5) के अनुसार आकाशीय बिजली गिरने से मृतक व्यक्ति (शंकरबाई) के निकटतम वारिश में उसके पति वालसिंह पिता जामसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम बडागुडा तहसील जोबट को 1,50,000/–(एक लाख पच्चास हजार रूपये) आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।

उक्त व्यय मांग संख्या 58–लेखाशीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदाओं के संबध में राहत 003–अग्नि पिड़ितो को राहत-- आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क/ 683 /रीडर/2015 अलीराजपुर दिनांक 3/7/2015

प्रतिलिपिः–

1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।

2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर ।

3 प्रभारी अधिकारी (वित्त–2) जिला अलीराजपुर (संलग्न :--बैक खाते की छाया प्रति)

4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट।

5 तहसीलदार तहसील जोबट ।

6 संबंधित वालसिंह पिता जामसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम बडागुडा तहसील जोबट की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर